दिनांक 10.01.2025
प्रेस विज्ञप्ति 16/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

<u>जनपद पीलीभीत/थाना बरखेड़ा</u>

- **लूट की घटना का अनावरण**
- **06 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 41 हजार 500 रूपये नगद**
- **लूट की चैन, 03 मोबाइल फोन, घड़ी**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस**
- **घटना में प्रयुक्त 02 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 09.01.2025 को थाना बरखेड़ा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम भैसहा ग्वालपुर, भट्टे के पास से 06 अभियुक्तों 1–श्याम उर्फ देवू 2–रोहिताश कुमार 3–कुलदीप 4–प्रेमपाल 5–अरून कुमार 6–सुनील कुमार को गिरफ्तार कर लूट की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट के 41 हजार 500 रूपये नगद, लूट की चैन, 03 मोबाइल फोन, घड़ी, 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस, घटना में प्रयुक्त 02 मोटर साइकिल आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 05.01.2025 को थाना बरखेड़ा क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना बरखेड़ा पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया, चैन आदि लूट की घटनाओं से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना बरखेड़ा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–श्याम उर्फ देवू निवासी मुडिया हुलास थाना बरखेड़ा जनपद पीलीभीत।

2–रोहिताश कुमार निवासी ग्राम जगीपुर जैतपुर थाना बरखेड़ा जनपद पीलीभीत।

3—कुलदीप निवासी ग्राम जगीपुर जैतपुर थाना बरखेड़ा जनपद पीलीभीत।

4—प्रेमपाल निवासी ग्राम जगीपुर जैतपुर थाना बरखेड़ा जनपद पीलीभीत।

5—अरून कुमार निवासी ग्राम भैसहा ग्वालपुर थाना बरखेड़ा जनपद पीलीभीत।

6—सुनील कुमार निवासी ग्राम जगीपुर जैतपुर थाना बरखेड़ा जनपद पीलीभीत।

बरामदगी

1—लूट के 41 हजार 500 रूपये नगद।

2—लूट की चैन, 03 मोबाइल फोन, घड़ी।

3—02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस।

4—घटना में प्रयुक्त 02 मोटर साइकिल आदि।

कमिश्नरेट गाजियाबाद/थाना कविनगर

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 50 लाख रूपये कीमत के चोरी के सोने—चाँदी व हीरे के आभूषण**
- **चोरी के 10 लाख 49 हजार 535 रूपये नगद बरामद**

दिनांक 10.01.2025 को थाना कविनगर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मुखर्जी पार्क के पास से 03 अभियुक्तों 1—चन्दन कुमार 2—ओमप्रकाश 3—सुनील कुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 50 लाख रूपये कीमत के चोरी के सोने—चाँदी व हीरे के आभूषण, चोरी के 10 लाख 49 हजार 535 रूपये नगद बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 08.01.2025 को थाना कविनगर क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कविनगर पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से आभूषण, रूपया आदि उक्त चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना कविनगर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—चन्दन कुमार निवासी ग्राम बरहारा थाना मरौना जनपद सुपौल बिहार।

2–ओमप्रकाश निवासी ग्राम बरहारा थाना मरौना जनपद सुपौल बिहार।

3–सुनील कुमार निवासी ग्राम बारहा पारा थाना बजीरगंज जनपद गोण्डा।

बरामदगी

1–लगभग 50 लाख रूपये कीमत के चोरी के सोने–चाँदी व हीरे के आभूषण।

2–चोरी के 10 लाख 49 हजार 535 रूपये नगद।

जनपद आजमगढ़/थाना रौनापार

- **लूट की घटना का अनावरण**
- **पुलिस कार्यवाही में 04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 22 हजार 650 रूपये नगद**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **घटना में प्रयुक्त 01 चार पहिया वाहन आदि बरामद**

दिनांक 10.02.2025 को थाना रौनापार, थाना बिलरियागंज की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर भैसाड़ पुल के पास बदमाशों की घेराबन्दी की गई तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1–संतविजय घायल हो गया, जिसे अभियुक्त 2–करन 3–आकाश 4–सौरभ सहित गिरफ्तार कर लूट की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट के 22 हजार 650 रूपये नगद, 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, घटना में प्रयुक्त 01 चार पहिया वाहन आदि बरामद हुए। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 07.01.2025 को थाना रौनापार क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना रौनापार पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया लूट की घटना से सम्बन्धित है। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त संत विजय के विरूद्ध जनपद आजमगढ़ के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, लूट, चोरी आदि के 06 अभियोग, अभियुक्त करन के

विरूद्ध जनपद आजमगढ़ के विभिन्न थानो में लूट, चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 09 अभियोग एवं अभियुक्त आकाश व सौरभ के विरूद्ध जनपद आजमगढ़ के विभिन्न थानो में लूट, चोरी आदि के 04–04 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना रौनापार पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–संतविजय निवासी ग्राम काजी अमीर अहमद जोत थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़।

2–करन निवासी अराजी अजगरा मगर्वी थाना रौनापार जनपद आजमगढ़।

3–आकाश निवासी ग्राम शिवपुर थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़।

4–सौरभ निवासी मुरादपुर थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़।

बरामदगी

1–लूट के 22 हजार 650 रूपये नगद।

2–02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

3–घटना में प्रयुक्त 01 चार पहिया वाहन आदि।

जनपद कानपुर देहात/थाना सिकंदरा

- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 47 हजार 600 रूपये नगद**
- **चोरी के (पीली–सफेद धातू) आभूषण, 24 मोबाइल फोन**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद**

दिनांक 10.01.2025 को थाना सिकंदरा व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सूर्या पुल के पास से अभियुक्त विकास को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से चोरी के 47 हजार 600 रूपये नगद, चोरी के (पीली–सफेद धातू) आभूषण, 24 मोबाइल फोन, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 01/02.01.2025 को थाना सिकंदरा क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना सिकंदरा पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया, आभूषण, मोबाइल फोन आदि चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित है। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद कानपुर देहात के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, चोरी, गैंगेस्टर एक्ट, आबकारी एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 17 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना सिंकदरा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–विकास निवासी ग्राम आलमचन्दपुर थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात।

बरामदगी

1–चोरी के 47 हजार 600 रूपये नगद।

2–चोरी के (पीली–सफेद धातू) आभूषण, 24 मोबाइल फोन।

3–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस।

जनपद शाहजहॉपुर/थाना रोजा

- **पुलिस कार्यवाही में 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 4.016 किलोग्राम चॉदी के आभूषण**
- **4500/–रूपये नगद**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉकः 09/10.01.2025 की रात्रि थाना रोजा व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पिपरिया नहर पर बदमाशों की घेराबन्दी की गयी तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी, जिसमें एक आरक्षी घायल हो गये। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1–मान सिंह घायल हो गया, जिसे अभियुक्त 2–लालसिंह सहित गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के 4.016 किलोग्राम चॉदी के आभूषण, 4500/-रूपये नगद, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त मानसिंह के विरूद्ध जनपद बरेली, शाहजहॉपुर, कमिश्नरेट प्रयागराज के विभिन्न थानों पर चोरी, डकैती, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के लगभग आधा दर्जन अभियोग व अभियुक्त लालसिंह के विरूद्ध जनपद शाहजहॉपुर, बरेली, महराजगंज के विभिन्न थानों पर चोरी, आर्म्स एक्ट, गुण्डा एक्ट आदि के लगभग आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना रोजा पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1-मान सिंह निवासी ग्राम ईशापुर थाना निगोही जनपद शाहजहॉपुर।

2-लालसिंह निवासी ग्राम ईशापुर थाना निगोही जनपद शाहजहॉपुर।

बरामदगी

1-चोरी के 4.016 किलोग्राम चॉदी के आभूषण।

2-4500/-रूपये नगद।

3-01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद मुजफ्फरनगर/थाना बुढाना

- **पुलिस कार्यवाही में 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 मोटर साइकिल**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉकः 09/10.01.2025 की रात्रि थाना बुढाना पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान गढ़ी सखावतपुर चौराहा पर बदमाशों की घेराबन्दी की गयी तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1-विकास उर्फ चव्वनी घायल हो

गया, जिसे अभियुक्त 2—अर्जुन सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 01 मोटर साइकिल, 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी है, जिसमें अभियुक्त विकास उर्फ चव्वनी के विरूद्ध जनपद मुजफ्फरनगर, मेरठ के विभिन्न थानों पर हत्या का प्रयास, चोरी, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 17 अभियोग व अभियुक्त अर्जुन के विरूद्ध जनपद मुजफ्फरनगर के विभिन्न थानों पर विद्युत अधिनियम के 13 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना बुढ़ाना पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—विकास उर्फ चव्वनी निवासी ग्राम नगला ताशी थाना कंकरखेड़ा जनपद मेरठ।

2—अर्जुन निवासी ग्राम नगला ताशी थाना कंकरखेड़ा जनपद मेरठ।

बरामदगी

1—01 मोटर साइकिल।

2—02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद हरदोई/थाना बेनीगंज

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के सोने—चॉदी के आभूषण**
- **चोरी के 02 मोबाइल फोन**
- **3550/—रूपये नगद बरामद**

दिनॉकः10.01.2025 को थाना बेनीगंज पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बक्सखेड़ा नहर पुलिया के पास से अभियुक्त लखपति को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से चोरी के सोने—चॉदी के आभूषण, चोरी के 02 मोबाइल फोन, 3550/—रूपये नगद बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि थाना बेनीगंज क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना बेनीगंज पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद आभूषण उक्त चोरी की घटना से सम्बन्धित हैं।

इस सम्बन्ध में थाना बेनीगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1– लखपति निवासी ग्राम जुटैला थाना बघौली जनपद हरदोई।

बरामदगी

1–चोरी के सोने–चॉदी के आभूषण।

2–चोरी के 02 मोबाइल फोन।

3–3550/–रूपये नगद।

जनपद कासगंज/थाना सोरों

- **पुलिस कार्यवाही में 01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 मोबाइल फोन**
- **01 मोटर साइकिल**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉकः 09/10.01.2025 की रात्रि थाना सोरों व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान मथुरा–बरेली हाईवे पर गोरहा नहर पुल के पास बदमाश की घेराबन्दी की गयी तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त अनस घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 01 मोबाइल फोन, 01 मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध जनपद कासगंज, बदायूं के विभिन्न थानों पर हत्या का प्रयास, सीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के कई अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थानों सोरों पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—अनस निवासी भवानीपुर खेरू थाना सहसवान जनपद बदायूं।

बरामदगी

1—01 मोबाइल फोन।

2—01 मोटर साइकिल।

3—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद मऊ/थाना मुहम्मदाबाद

- **05 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 23 ई—रिक्शा बैट्री, 01 चार्जर**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय कारतूस**
- **घटना में प्रयुक्त 01 चार पहिया वाहन आदि बरामद**

दिनांक 09.01.2025 को थाना मुहम्मदाबाद, थाना घोसी व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर रामघाट बांध कैलेण्डर तिराहा के पास से 05 अभियुक्तों 1—वाहिद 2—रिषभ उर्फ सूर्यान्स 3—सूरज 4—अभिषेक उर्फ वैभव 5—बृजेश कुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 23 ई—रिक्शा बैट्री, 01 चार्जर, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय कारतूस, घटना में प्रयुक्त 01 चार पहिया वाहन आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त वाहिद के विरूद्ध जनपद गोण्डा, मऊ, सिद्धार्थनगर के विभिन्न थानो में चोरी,

गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 13 अभियोग, अभियुक्त रिषभ उर्फ सूर्यान्स के विरूद्ध जनपद बहराइच, मऊ के विभिन्न थानो में चोरी आदि के 06 अभियोग एवं अभियुक्त सूरज के विरूद्ध जनपद मऊ के विभिन्न थानो में चोरी आदि के 05 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना मुहम्मदाबाद पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–वाहिद निवासी रहेरवा थाना खरबूपुर जनपद गोण्डा।

2–रिषभ उर्फ सूर्यान्स निवासी मुंडेरवा थाना पयागपुर जनपद बहराइच।

3–सूरज निवासी बेलवा वैइसा थाना विशेश्वरगंज जनपद बहराइच।

4–अभिषेक उर्फ वैभव निवासी मुंडेरवा थाना पयागपुर जनपद बहराइच।

5–बृजेश कुमार निवासी तिलकपुर थाना कटरा जनपद श्रावस्ती।

बरामदगी

1–चोरी की 23 ई–रिक्शा बैट्री, 01 चार्जर।

2–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय कारतूस।

3–घटना में प्रयुक्त 01 चार पहिया वाहन आदि।

जनपद देवरिया/थाना सुरौली

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **40 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब**
- **घटना में प्रयुक्त ट्रक वाहन बरामद**

दिनॉकः 09.01.2025 को थाना सुरौली पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पेट्रोल पम्प सरौरा मोड़ मझगवां के पास से 02 अभियुक्तों 1–नितेश कुमार 2–बिट्टू कुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 40 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब, घटना में प्रयुक्त ट्रक वाहन बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना सुरौली पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–नितेश कुमार निवासी पिपरा टोला बलुआं थाना डोरीगंज जनपद छपरा, बिहार।

2–बिट्टू कुमार निवासी कसदेयर पूर्वी बलुआं थाना डोरीगंज जनपद छपरा, बिहार।

बरामदगी

1–40 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब ।

2–घटना में प्रयुक्त ट्रक वाहन।

- **जनपद कौशाम्बी/थाना महेवाघाट (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 52 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद कौशाम्बी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद कौशाम्बी द्वारा थाना महेवाघाट पर पंजीकृत अभियोग में धारा 364/34/302/201 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त रमेश को आजीवन कारावास व 52 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद मुजफ्फरनगर/थाना नई मण्डी (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा व 22–22 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद मुजफ्फरनगर द्वारा थाना नई मण्डी पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/404 भादवि व 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त 1–रोशन 2–सुन्दर उर्फ छोटू को आजीवन कारावास व 22–22 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद बुलन्दशहर/थाना स्याना (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 05 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बुलन्दशहर द्वारा थाना स्याना पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/34 भादवि के

अन्तर्गत अभियुक्त पप्पू को आजीवन कारावास व 05 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बुलन्दशहर/थाना जहाँगीरपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 32 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बुलन्दशहर द्वारा थाना जहाँगीरपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/366/376(3) भादवि व 3/4(2) पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त राजकुमार को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 32 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

———————